

भिलाईनगर/ निगम भिलाई सभापति के लिए नये वाहन क्रय किये जाने के प्रस्ताव को महापौर परिषद् ने विधिवत् विभागीय सलाहकार समिति के अनुशंसा का अभाव में पुनः अनुशंसा पश्चात् बैठक में विचारार्थ रखे जाने पर सहमति प्रदान की गई।

महापौर परिषद् की बैठक प्रभारी महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में प्रस्तुत एक मात्र प्रस्ताव के अनुसार नगर पालिक निगम, भिलाई के अध्यक्ष (सभापति) को आबंटित वाहन पुरानी हो जाने तथा उसपर संधारण व्यय अधिक होने तथा वाहन एक लाख किलोमीटर से अधिक चल जाने के कारण एक नग वाहन डीजीएस एवं डी दरों पर क्रय की अनुमति हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को पत्र क्रमांक 355, दिनांक 09.08.2017 प्रेषित किया गया है।

छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक 6871/2965/2016/18, नया रायपुर दिनांक 08.09.2017 द्वारा अध्यक्ष (सभापति) हेतु एक नग नये वाहन निगम भिलाई की महापौर परिषद् से अनुमोदन एवं अन्य शर्तों के तहत वाहन क्रय किये जाने की सहमति प्रदान की गई है। निगम सचिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर उपस्थित सदस्यों ने विधिवत् विभागीय सलाहकार समिति की अनुशंसा प्राप्त कर पुनः महापौर परिषद् की बैठक में रखे जाने पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया है।

बैठक में प्रभारी महापौर नीरज पाल, आयुक्त के0एल0 चौहान, महापौर परिषद के सदस्य लक्ष्मीपति राजू, दीवाकर भारती, केशव बंधोर, नरेश कोठारी, साकेत चन्द्राकर, दुर्गा प्रसाद साहू, जोहन सिन्हा, श्रीमती सुभद्रा सिंह, सुशीला देवांगन, निगम सचिव जीवन वर्मा, वाहन शाखा के प्रभारी कार्यपालन अभियंता एस.पी. साहू उपस्थित थे।

जन सम्पर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम भिलाई

